existing Low Power TV Transmitters at Surat, Vadodra and Junagarh are envisaged to be upgraded to HPTs subject to availability of resources and other infrastructural facilities.

रिलायंस औद्योगिक समूह घोटाले की जांच करने के लिए समिति

2247. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के कहने पर रिलायंस औद्योगिक समूह घोटाले की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी कार्य विभाग के साथ मिलकर मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि॰ (आर॰आई॰एल॰) के डुप्लीकेट शेयरों के निर्गमन और शेयरों की अदला-बदली से संबंधित मामलों की जांच की है।

(ख) आर॰आई॰एल॰ के डुप्लीकेट शेयरों के निर्गमन और शेयरों की अदला-बदली के संबंध में सेबी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में निहित कुछ प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) रिपोर्टों में निहित निष्कर्षों के देखते हुए, सेबी ने रिलायंस कंसलर्टेसी सर्विसेज लि॰ (आर॰सी॰एस॰) को नोटिस जारी किया है कि वे यह बताएं कि सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 के तहत उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण, जिसके कारण वे इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं, क्यों न रद्द कर दिया जाए। राजस्व विभाग ने भी रिलायंस समूह के स्वामित्वाधीन कुछ कंपनियों से शेयरों की अदला-बदली से जुड़े सौदों से होने वाली कारोबारी आय के मुल्यांकन के कारण पूछताछ की है। इसके अलावा, कंपनी कार्य विभाग ने रिलायंस कंसलटेंसी सर्विसेज लि॰ सहित उनके चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 के कंपनी (शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गमन) नियम, 1960, 108(1) और 113(1) के साथ पठित धारा 84(2), 84(3) 84(4) के तहत 12.7.1996 को सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। तदनुसार, यह मामला न्यायाधीन है।

विवरण

आई.आर.एल. के डुप्लीकेट शेयरों के निर्गमन और शेयरों की अदला-बदली

(i) अप्रैल, 1990 से अक्तूबर, 1995 की अवधि में रिलायंस कन्सलटेंसी सर्विसेज लि॰ (आर॰सी॰एस॰) ने कुल 4.89 लाख डुप्लीकेट शेयर जारी किए। कुछ ऐसे डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र भी जारी कर दिए गए जबकि मूल शेयर प्रमाणपत्र मौजूद थे। यह एक ऐसा तथ्य था जो आर.सी.एस. को बखूबी मालूम था।

(ii) आर॰सी॰एस॰ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि॰ (आर॰आई॰एल॰) के इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के रूप में कार्य करते हुए सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमों का उल्लंघन किया।

(iii) आर॰आई॰एल॰ के अदला-बदली किए गए शेयरों की संख्या 69.9 लाख होने का अनुमान है। रिलायंस कन्सलटेंसी सर्विसेज लि॰ (आर॰सी॰एस॰) ने मार्च-अक्तूबर, 1992 के दौरान शेयरों की अदला-बदली की। शेयरों की अदला-बदली के आर॰आई॰एल॰ के व्यापारिक सहयोगी भी शामिल थे।

(iv) आर॰आई॰एल॰ शेयरों के आर॰सी॰एस॰ द्वारा अंतरण किए जाने की उल्लिखित तारीख तथा अंतरित शेयरों को स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰ (एस॰एच॰सी॰आइ॰एल॰) को प्रेषित करने की तारीख के बीच बहुत अधिक विलम्ब हुआ।

(v) ब्रोकरों से इन शेयरों की प्राप्ति की तारीख से, आर॰सी॰एस॰ को उनकी प्रस्तुति और आर॰सी॰एस. से प्राप्ति के बाद उन पर कार्रवाई करने में एस॰एच॰सी॰आइ॰एल॰ द्वारा शेयरों पर कार्रवाई के हर चरण में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

(vi) शेयरों की अदला-बदली कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 108(1) के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

(vii) शेयरों को उनकी प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर अंतरित न करके आर॰सी॰एस॰ ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 के उपबंधों का उल्लंघन किया है।